भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3803

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

अवैध ऋण एप्लिकेशनों का बढ़ता खतरा

†3803.डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे अवैध और अनियंत्रित ऋण एप्लिकेशनों और अनधिकृत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के बढ़ते खतरे की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नागरिकों को उत्पीड़न और धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, ऐप स्टोरों और डिजिटल मध्यस्थों के साथ समन्वय सहित ऐसे अवैध ऋण एप्लिकेशनों की पहचान करने, उन्हें ब्लॉक करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ऐसी संस्थाओं को दंडित करने के लिए मौजूदा कानूनी और विनियामक उपबंध क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास अवैध ऋण एप्लिकेशनों के माध्यम से धोखाधड़ी की गई अथवा जबरन वसूली की गई धनराशि का अनुमान लगाने वाला कोई आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान अवैध ऋण देने वाले एप्लिकेशनों के विरुद्ध वर्ष-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार देश में चल रहे अवैध और अनियमित ऋण ऐप्स के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित नियामकों/हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। आरबीआई ने डिजिटल उधार पर विनियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल उधार इकोसिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इन दिशानिर्देशों में वसूली, डेटा गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में विस्तृत प्रावधान भी हैं जो विनियमित संस्थाओं (आरई), उनके द्वारा नियुक्त किए गए ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएपी) और डिजिटल लैंडिंग ऐप्स (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं। आरबीआई ने विनियामक मानकों को स्थापित और लागू करने, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने, बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने, विवादों का समाधान करने और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 30.05.2024 को "फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठन (संगठनों) के लिए ढांचा" (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) जारी किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अवैध ऋण ऐप सहित सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करता है।

इसके अलावा, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे अवैध ऋण ऐप्स की पहचान करने, उन्हें ब्लॉक करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल करते रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) आरबीआई ने दिनांक 1.7.2025 से अपनी वेबसाइट पर एक निर्देशिका 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' का संचालन किया है, जिसमें आरबीआई के आरई द्वारा उपलब्ध सभी डीएलए शामिल हैं। निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को आरई के साथ डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए) के जुड़ने के दावे को सत्यापित करने में सहायता करना है।

(ii) अनधिकृत ऋण ऐप्स के संचालन की समीक्षा करने के लिए प्रमुख इंटरनेट मध्यस्थों और मैसेजिंग प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। डिजिटल मध्यस्थों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के लिए निरंतर व्यवहार-विश्लेषण स्थापित करके अपनी ऐपस्टोर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और अभिनियोजन पश्चात परीक्षण को सुदृढ़ करें।

(iii) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सक्रिय रूप से विश्लेषण कर रहा है। नागरिकों को अवैध ऋण ऐप सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु, गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" आरंभ किया है।

(iv) बैंक पब्लिक फेसिंग प्लेटफॉर्म 'सचेत' पोर्टल और अंतरविनियामक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के माध्यम से नागरिकों को अवैध रूप से धन जमा/संग्रह से संबंधित विशिष्ट इकाई के विरुद्ध किसी भी शिकायत को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक अवैध ऋण ऐप सहित साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जो धोखाधड़ियों और जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

(घ) और (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, उसका पता लगाने, जांच करने और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार एलईए के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परामर्शी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों में सहायता करती है।
